

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 8 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 356/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/363

अनवान

श्री हस्तीमल पिता श्री केसरीमल जी महाजन निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....वादी

बनाम

श्री देवीलाल पिता श्री केसरीमल जी महाजन निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.

श्री सागरमल पिता श्री केसरीमल जी महाजन निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्री राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.07.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	हस्तीमल पुत्र केसरीमल हि. पूर्ण जाति महाजन खातेदार	1031/1	0.1500	माल प्र.	1.35
		1220/1	0.1600	माल प्र.	1.44
		5025/1	0.0900	चाही द्वि.	2.24
		योग	किता 3	0.4000	-
2.	सागरमल पुत्र केसरीमल हि. पूर्ण जाति महाजन खातेदार	1031/3	0.1000	माल प्र.	0.90
		1032	0.0500	माल प्र.	0.45
		1220/3	0.1600	माल प्र.	1.44
		5025/3	0.0900	चाही द्वि.	2.34
		योग	किता 4	0.4000	-
3.	देवीलाल पुत्र केसरीमल हि. पूर्ण जाति महाजन खातेदार	1031/2	0.1500	माल प्र.	1.35
		1220/2	0.1600	माल प्र.	1.44
		5025/2	0.0900	चाही द्वि.	2.34
		योग	किता 3	0.4000	-

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय गया।

